कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रूद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, थराली।

पत्रांक:284 /जि0टा0फो0च0/मोटर मार्ग/2016–17, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

विषयः राज्य योजना के अन्तर्गत देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से राजकीय इन्टर कॉलेज मुन्दोली तक मोटर मार्ग संरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 1649/36 सी0, दिनांक 11.08.2016, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता प्रभारी, लोक निर्माण विभाग, थराली को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त संरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या सुलभ संदभार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : /जि0टा0फो0च0/मोटर मार्ग/2016–17, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

निoआoसंo–284/जिoटाoफोo चo/रूo/मोटर मार्ग/2016–17

राज्य योजना के अन्तर्गत देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से राजकीय इन्टर कॉलेज मुन्दोली तक मोटर मार्ग संरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली के पत्र संख्या 1649/36 सी0, दिनांक 11.08.2016, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता प्रभारी, लोक निर्माण विभाग, थराली को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से राजकीय इन्टर कॉलेज मुन्दोली तक मोटर मार्ग संरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री सन्तोष पंत, कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली की उपस्थिति में भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :–

पहुॅच/अवस्थिति :

प्रश्नगत मोटर मार्ग संरेखण स्थल बगड़ी गाढ़ से लोहाजंग मोटर मार्ग के मध्य मे अपस्लोप मे अवस्थित राजकीय इन्टर कॉलेज मुन्दोली को जोड़ने के लिए उक्त संरेखण तैयार किया गया है। संरेखण का निर्माण थराली–देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग के कि0मी0 32 से प्रारम्भ किया जाना है। वर्तमान समय मे मोटर मार्ग का आंशिक कटाव किया जा चुका है। संरेखण की कुल लम्बाई 0.400 कि0मी0 प्रस्तावित है।

भूआकृति/भूगर्भीय तथ्य :

उक्त मोटर मार्ग संरेखण बगड़ी गाढ़ के बायें तट के अपस्लोप मे अवस्थित पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के अपस्लोप भूभाग मे किया जाना है जिसमें लगभग रिज टॉप भूभाग मे राजकीय इन्टर कॉलेज मुन्दोली के भवन निर्मित हैं। स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग 30^0–35^0 तथा कतिपय स्थलों पर इससे अधिक तीव्रता के साथ दृष्टिगोचर होता है। उक्त संरेखण मे एक हेयरपिन बैण्ड का प्राविधान किया गया है। संरेखण मे अधिकतम ऊॅचाई 2172 व न्यूनतम 2140 मीटर है।

उक्त क्षेत्रान्तर्गत अल्मोड़ा, जोनसार तथा तेजम–दामता समूह की चट्टानें अवस्थित हैं जो कि कार्बोनेट्स, चूना पत्थर, स्लेट, क्वार्टजाईट, शिष्ट व नाइस प्रकृति की हैं। वाल्दिया सन् 1980 इन विभिन्न समूह की चट्टानों के बीच के सम्बन्ध थ्रस्ट कॉन्टेक्ट है जो देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग पर दृष्टिगोचर होते हैं। प्रस्तावित मार्ग अल्मोड़ा समूह की चट्टानों की सामान्य दिशा उत्तरदक्षिण है तथा झुकाव 20^0–25^0 पश्चिम मे है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत क्वार्टजाईट चट्टानों के बीच यदाकदा शिष्ट प्रकृति की चट्टानें भी अन्तरस्तारित हैं।

उक्त क्षेत्रान्तर्गत मृदा की मोटाईयुक्त परत विद्यमान है जिससे अधोभूमि मे स्वस्थानें चट्टानें निचले भूभाग मे विद्यमान हो सकती हैं। उक्त क्षेत्रान्तर्गत चट्टानें कतिपय स्थलों पर वेदर्ड प्रकृति की दृष्टिगोचर होती हैं। उक्त क्षेत्र मे कटाव के पश्चात् भराव क्षेत्र को कॉम्पेक्ट किया जाना उचित होगा जिससे मोटर मार्ग को स्थायित्व प्रदान हो सके।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण स्थल पर निम्न सुझाव एवं शर्तों के साथ विचार किया जाय :–

1. संरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम–1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. सम्पूर्ण मोटर मार्ग संरेखण मे मजबूत रिटेनिंग वाल व ब्रेस्टवाल (वीप हॉल सहित) जहॉ आवश्यक हो, निर्माण किया जाय।
3. संरेखण के निचले ढाल पर अवस्थित मोटर मार्ग की सुरक्षा हेतु कटाव क्षेत्र से उत्सर्जित मटिरियल को निचले पहाड़ी ढालों पर कदापि न फैलाया जाय।
4. पर्वतीय क्षेत्रों मे मोटर मार्ग निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का कड़ाई से पालन किया जाय।
5. मोटर मार्ग के सतही जल प्रवाह को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से पक्की नालियों द्वारा नियन्त्रित कर कॉजवे स्कपर व सुरक्षित स्थल/नालों में निक्षेपित किया जाय।
6. संरेखण स्थल पर सम्भावित भूस्खलन/भूधसांव से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किये जांय।
7. मोटर मार्ग संरेखण स्थल पर रिटेनिंग वाल व ब्रेस्टवाल का आधार दृढ़ व कठोर ताजा (फ्रेश) चट्टानों अथवा उचित सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक के साथ रखा जाय।
8. मोटर मार्ग संरेखण कटाव के पश्चात् कतिपय स्थलों पर अपस्लोप व डाउनस्लोप प्रभावित हो सकते हैं जिसके लिए उचित प्रबन्ध किये जांय।
9. चूंकि उक्त स्थल भारतीय सीजमिक मानचित्र मे भूकम्पीय जोन मे वर्गीकृत है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पन्नों से स्थल के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है।
10. मोटर मार्ग संरेखण कटाव से उत्सर्जित मलवा पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर किसी सुरक्षित स्थल पर बिछाया/इकट्ठा किया जाय अन्यथा निचले भूभाग पर अवस्थित क्षेत्रों मे वर्षाकाल के दौरान जल प्रवाह से मृदा व चट्टानों के प्रवाह के साथ निचले भूभागों मे भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्र जनित हो सकते हैं।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव व शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर संरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों मे मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक